## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारांकित प्रश्न ख: 4456

	20	, 2020		प्रश	त्त			
			•		:			
4456. <b>श्री</b> पी॰के॰ कु <del>न्</del> हार	तीकु <b>ट्टी</b> ः							
व स्वास्थ्य और	:परिवार	कल्याण मंत्री	Ť	करगे	किः			
(क) क्या सरकार ने एफा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है		ाई म रिक्तियों व	ो भरने के <u>वि</u>	लेए परीक्ष	न्ना आयोरि	जेत को है अ	गैर यदि	हां,
(ख) क्या चयनित किए ग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	ए व्यक्तिय	ा <mark>ों</mark> के संविदा कम	चारियों का स	Ę	Ì		f,	
( ) क		ॉं तत्संबंधी ब्यौरा	क्या है और			आयोजित व क	ज् <b>रने पर</b> ;	भी
() क ि, त		म संविदा कमच यौरा क्या है और		रीक्षा के रि व		यी करने पर ?	विचार	कर
		_	<u>त</u>					
	स्वास्थ्य	ग और परिवार क	ल्याण राज्य	मंत्री ( र्श्र	ो अ <b>श्वि</b> नी	कुमार चौबे	·)	
( ): -01/2019, लिए विज्ञापन दिए ह। इ क्ष	-02/201	और मानक प्राधि 19, -03/2 गों को भरने के वि	2019, के मा	ध्यम से	चयन हेतु	रु कुल 307	रिक्तियो	ों के
( ) ( )ः र्गे लिए अनुबंधित कमचारि क्ते) को लेने को आवश्यकता हे प्राधिकरण(भर्तो एवं नि	ो अधिसूच ।ती है।	ाना के साथ अनुब हालांकि, ऐसे र	ांधित कमचा तभी व्यक्ति	2018 रियों को जो भाग	द्य सामान्य <sup>ऽ</sup> रतीय खा	भर्तो प्रकिया द्य सुरक्षा	ं ( ंम भी भ एवं मा	र्ग भाग नक

काम कर रहे थे, को सीधी भर्ता हेतु निधारित अधिकतम आयु सीमा म छूट दी गई है -साथ उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार चयन म महत्त्व भी दिया गया है। इसीलिए ठेकागत कमचारियों के स्थायीकरण हेतु उनके लिए कोई पृथक परीक्षा होना विचाराधीन ों

(घ): जी नहों। ऐसा कोई प्रस्ताव नहों है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(भर्ता एवं नियुक्ति) विनियम, 2018 म अनुबंध आधार पर काय कर रहे व्यक्तियों के समावेशन के लिए कोई प्रस्ताव नहों है।